न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा जिला– चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – डॉ0 कृति व्यास (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र –105/2025

अनवान

1. जगदीश पिता हीरालाल जाति गुर्जर उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी सुरतपुरा तहसील बेगूं जिला चितौडगढ़।
2. सुरेश चन्द्र पिता सुखदेव गुर्जर जाति गुर्जर उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी काटून्दा तहसील बेगूं जिला चितौडगढ़ राजस्थान।

– प्रार्थी

बनाम

जरिये श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़,

– प्रतिवादी/विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री लालचन्द प्रजापत अभिभाषक प्रार्थी
पेरोकार सरकार।

निर्णय दिनांक 18.02.2026

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के खाते की कृषि आराजी ग्राम घाटी, पटवार हल्का मेघनिवास, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान की जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 की खाता संख्या 54, खसरा संख्या 10 रकबा 2.14है0 व खसरा संख्या 13 रकबा 1.37है0 तथा खसरा संख्या 51/14 रकबा 2.72है0 कुल किता 03 कुल रकबा 6.23है0 आराजीयात दर्ज रिकार्ड है जिसमें से खसरा संख्यास 51/14 रकबा 2.72है0 पर आने जाने के लिए प्रार्थीगणों को रास्ता जो विपक्षी की आराजीयात खसरा संख्या 50/11 रकबा 11.33है0 की मैड से होकर अपनी आराजीयात पर आते जाते रहे है हम प्रार्थीगण जिस खसरा संख्या की मेड से होकर मैड के सहारे सहारे दक्षिण दिशा से पुर्व दिशा की ओर मौके पर 30 फीट चौडा रास्ता चालु होकर उक्त रास्ते से आते जाते है तथा उक्त आराजीयात बिलानाम सरकार खातेदर्ज रिकार्ड है तथा मौके पर आराजीयात पडत होकर और प्रार्थीगण अपनी आराजीयात को समय समय पर ट्रैक्टर से हाक जोतने का कार्य करते है जो मूल रास्ता खातेदर्ज में जाकर मिलता है उक्त रास्ता कदिमी समय से विपक्षी के खाते दर्ज आराजीयात की मेड से होकर निकलता है। उक्त आराजी पर हम प्रार्थीगण खातेदार निर्विवाद रूप से खेती करते चले आ रहे होकर उपरोक्त वर्णित खसरा संख्या 50/11 की मैड के सहारे सहारे दक्षिण दिशा से पुर्व दिशा की ओर मौके पर 30 फीट चौडा रास्ता चालु होकर उक्त रास्ते का उपयोग कदीमी समय से करते चले आ रहे है, जिसमें किसी भी प्रकार की रोक टोक व रूकावट नहीं है तथा उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थीगणों की आराजीयात पर आने हेतु नहीं है। अंत में प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया कि हम प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगणों का नजरिय नक्शें में वर्णित वांछित रास्ता खसरा संख्या 10, 13, 51/14 के कोने से प्रारम्भ होकर खसरा संख्या 50/11 की मैड के सहारे सहारे दक्षिण दिशा से पूर्व दिशा की ओर मौके पर 30 फीट चौडा रास्ता दिया जाकर उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड व नक्शें में इन्द्राज कराया जाकर रास्ता उपलब्ध कराये जाने का आदेश तहसीलदार रावतभाटा को जारी किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को तलब किया गया। प्रकरण रास्ता कायमी का होने से तहसीलदार रावतभाटा से मौका एवं स्थिति की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार रावतभाटा ने प्रस्तुत रिपोर्ट में तथ्य अंकित किया है कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड अनुसार ग्राम घाटी की आराजी संख्या 10, 13, 51/14 कुल किता 03 रकबा 6.23है0 भूमि जगदीश पिता हीरालाल 1/2 गुर्जर सा. काटुन्दा तहसील बेगूं के सा. सूरतपुरा नाम खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी

हक से दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक राजस्व रेकार्ड खातेदारी आराजी संख्या 10, 13, 51/14 पर पहुंचने के लिए रास्ता दर्ज नही होने से रास्ते की आवश्यकता है। वादीगण द्वारा ग्राम घाटी की आराजी संख्या 50/11 रकबा 11.33है0 किस्म बिलानाम भटवेड मे से रास्ता चाहा गया है। वादीगण द्वारा चाहा गया रास्ता आराजी संख्या 50/11 रकबा 11.33है0 भूमि बिलानाम भटवेड राजस्थान सरकार के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। आराजी संख्या 50/11 पर स्थित वर्तमान में मौके पर लगभग 6–8 मीटर चौडा रास्ता आवाजाहीमें उपयोग मे होकर चालू है। जो खातेदारी आराजी से लगता हुआ है। वादीगण की खातेदारी आराजी मे पहुंच हेतु इसके अतिरिक्त न्यूनतम दूरी का कोई रास्ता नहीं है, ग्राम घाटी की आराजी संख्या 50/11 मे प्रस्तावित रास्ते मे कोई पक्का निर्माण, सरंचना या हरे पेड स्थित नहीं है। ग्राम घाटी की अराजी संख्या 50/11 रकबा 11.33है0 भूमि मे स्थित उक्त मार्ग की कुल लम्बाई 825 मीटर एवं चौडाई 6 मीटर है जिसका कुल क्षेत्रफल 825X6=4950 वर्गमीटर भूमि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आयेगी। प्रार्थी के रास्ते में आने वाली कुल भूमि 4950 वर्गमीटर है। उक्त प्रस्तावित भूमि की प्रचलन डीएलसी रेट 479771/– रू प्रति हैक्टयर अथवा 21.12 रू प्रति वर्गमीटर है। प्रार्थी के रास्ते में आने वाली कुल भूमि 4950 वर्गमीटर है। प्रचलन डीएलसी दर अनुसार वैल्यू 4950X47.97=2,37,451.50/– रूपये बनती है। जिसका दुगुना शुल्क प्रार्थी को जमा कराना होगा।

न्यायालय ने उभय पक्ष को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि उनकी आराजीयात में आने जाने का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से पहुंच मार्ग हेतु उक्त रास्ते का सार्वजनिक प्रयोग किया जा रहा है। उक्त आराजीयात राजस्व रिकार्ड अनुसार बिलानाम होकर राजस्थान सरकार के खाते में अंकित है। यह रास्ता राजस्व रिकार्ड में तरमीम नहीं होने से प्रार्थी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त आराजी पर आने जाने का एक मात्र रास्ता यही है तथा उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम नहीं है, अतः प्रार्थना–पत्र न्यायालय में पेश किया है। प्रार्थी उक्त रास्ते हेतु उपयोग मे आने वाली भूमि की राशि राजकोष में जमा करा नियमानुसार रास्ता चाहता है। इसके लिए वह नियमानुसार राशि विपक्षी खातेदार/राजकोष को देने को तैयार है। तहसीलदार रावतभाटा अनुसार इस रास्ते में आराजी संख्या 50/11 (4950 वर्ग मी.) भूमि काम आयेगी। प्रार्थी को ग्राम घाटी की आराजी संख्या 50/11 से रकबा 4950 वर्गमीटर भूमि जिसकी डीएलसी दर 479771/ रू. प्रति है0 से 4950X47.97=2,37,451.50/–शुल्क रूपये की दुगुनी राशि 2,37,452 X2= 4,74,904 रू कीमत बनती है।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी व पेरोकार सरकार की बहस सुनी। प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। रिकार्ड का अवलोकन करने, मौका रिपोर्ट तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर इसके अतिरिक्त न्यूनतम दूरी का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा यह राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। प्रार्थी राजकीय भूमि को ही अस्थाई रूप से पहुंच मार्ग की तरह कदीमी समय से उपयोग–उपभोग कर रहा है तथा प्रार्थी ने रास्ता रिकॉर्ड दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 252, 256 राजस्व (ग्रुप–6) विभाग **"परिपत्र क्रमांक प.3(52) राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 "राजकीय भूमि पर सार्वजनिक रास्ता निकालने के संबंध में।"** के दृष्टिगत **सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता दिया जाना उचित प्रतित होता है।** संक्षिप्त जांच तथा तहसीलदार रावतभाटा रिपोर्ट के आधार पर संतुष्ट है कि " रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता (Absolute Necessity) है तथा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा प्रार्थी कुल प्रभावित क्षेत्र की क्षतिपूर्ति देने हेतु तैयार है तथा पेरोकार सरकार ने अनापत्ति दी है। अतः "सार्वजनिक प्रयोजनार्थ" राजस्व रिकार्ड में सरकारी नियमों के अनुसार प्रार्थी द्वारा डीएलसी दर की दुगुनी राशि राजकोष में जमा करवाने के पश्चात राजस्व रिकार्ड में " गै0मु0 रास्ता" दर्ज किया जाये। यह रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ, केवल खेत/कृषि जोत तक पहुंच के लिये है, कोई अन्य उपयोग नहीं किया जायेगा। उक्त तथ्यों को देखते हुए प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है तथा प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है।

–:आदेश:–

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत ग्राम घाटी, पटवार हल्का मेघनिवास, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान की जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 की खाता संख्या 54, खसरा संख्या 10 रकबा 2.14है0 व खसरा संख्या 13 रकबा 1.37है0 तथा खसरा संख्या 51/14 रकबा 2.72है0 कुल किता 03 कुल रकबा 6.23है0 भूमि में आने जाने हेतु बिलानाम राजस्थान सरकार आराजी संख्या 50/11 रकबा 11.33 है0 में से 4950 वर्गमीटर भूमि रास्ता दिलाये जाने का स्वीकार किया जाकर रकबा 4950 वर्गमीटर भूमि डीएलसी रेट 479771/रू. अनुसार कीमत 2,37,452 रू की दुगुनी दर से राशि 4,74,904/–रू. (अक्षरे रूपये चार लाख चौहतर हजार नौ सौ चार रू. मात्र) कीमतन का भुगतान संबंधित खातेदार हिस्से अनुसार किये जाने पर उक्त भूमि रास्ते के उपयोग हेतु बिलानाम रास्ता दर्ज करने की स्वीकृति दी जाकर रास्ता कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है, विपक्षी राजस्थान सरकार की बिलानाम की रास्ते हेतु उपयोग में आने वाली भूमि 4950 वर्गमीटर (राशि 4,74,904 रू) का भुगतान विपक्षी/राजकोष में जमा किये जाने बाबत उक्त राशि का बैंक ड्राफ्ट बनाकर भुगतान तहसीलदार रावतभाटा के मार्फत किये जाने हेतू प्रस्तुत करें। ड्राफ्ट प्रस्तुत होने पर उक्त आदेशानुसार भुगतान हेतू संबंधित तहसीलदार को ड्राफ्ट भिजवाया जावे तथा राजस्व अभिलेख में अमल हेतू तहसीलदार रावतभाटा की रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शे की छायाप्रति, निर्णय की प्रति के साथ संलग्न कर पालनार्थ तहसीलदार रावतभाटा को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति तहसीलदार रावतभाटा को पालनार्थ भेजी जावे।

(डॉ. कृति व्यास)आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा